

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

मानसिंह

बनाम गीता देवी व अन्य

किस्म मुकदमा 188, 92 ए मुकदमा नम्बर 99/2005.....सन .....

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10.10.2019	<p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण अभिभाषक उपस्थित । प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि दिनांक 16.7.2009 को प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 6.10.2009 को नियत की गई। जिस हेतु दिनांक 22.10.2009, 12.3.2010, 16.5.2013, 14.5.2014, 9.9.15, 7.4.2017, को वादी साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये गए। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 20.8.2019 को वादी साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने पर भी आज दिनांक तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 22.10.2009, 12.3.2010, 16.5.2013, 14.5.2014, 9.9.15, 7.4.2017, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 20.8.19 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। वादीगण द्वारा लगभग 10वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत वादी अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादी का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	

Scanned by CamScanner

